धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र, समाजवाद, समानता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए समर्पित समाचार पत्र

हिंदी साप्ताहिक

जनता रैबार

मसूरी से प्रकाशित समाचार पत्र | मसूरी, रविवार,15 सितंबर 2013 | वर्ष : ०१, अंक २१, पृष्ठ : ०४ | मूल्य :1/-प्रति, वार्षिक 120 रुपये

रविवार
15 सितंबर
2013

₹ 1

आखिर फांसी की सजा क्यों : पेज-2

कोई नहीं आपदा प्रभावितों का सुधलेवा : पेज-3

लाखों मौतों की चिंता किसे है?

– डा. सुनीलम

उत्तराखण्ड में प्रकृतिक आपदा के चलते दस हजार से अधिक लोगों की मौत हुई। अन्नदाता कहे जाने वाले 5 लाख किसानों ने आत्महत्या की, मंदिर–मस्जिद के विवाद के बाद हजारों मुसलमान मारे गए। इन्दिरा जी की हत्या के बाद 5 हजार सिक्खों का कत्लेआम कांग्रेसियों ने किया। आजादी के बाद 84 हजार निहत्थे, निर्दोश नागरिक पुलिस गोली चालन में मारे गए। देश के विभाजन के समय साम्प्रदायिक हिंसा में लाखों लोग मारे गए थे। यह सिलसिला आज भी जारी है। हाल ही में मुजफर नगर में 28 लोग साम्प्रदायिक हिंसा में मारे गए। इस तरह देश में लगातार मौत का सिलसिला जारी है।

मावनीय सम्वेदना रखने वाला कोई भी व्यक्ति को इन मौतों को देखकर विचलित होना चाहिए। आइए हम इस बात का विश्लेषण करे कि इन मौतों के बाद किसने क्या किया।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहली जिम्मेदारी एवं अपेक्षा सरकार और राजनैतिक दलों से की जा सकती है। संसदीय व्यवस्था के चारों स्तम्भों ने किया कुछ किया यह देखना भी रूचिकर होगा।

सबसे पहले उत्तराखण्ड त्रासदी की बात करें, तत्कालिक राहत के लिए सेना द्वारा मदद की गई। कार्यवाही को सभी ने सराहा लेकिन तबाही के बाद से लेकर अब तक अखबारों में प्रकाशित समाचारों एवं चैनलों के विश्लेषणों को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार द्वारा जो भी किया गया उसे ऊँट के मुँह में जीरा से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता।

संसद से अपेक्षा थी वह प्राकृतिक आपदा के कारणों, वर्तमान विकास की नीति तथा राहत और पुर्नवास को लेकर न केवल चर्चा करेगी बल्कि उत्तराखण्ड के विकास की दिशा को पर्यावरण सम्मत बनाने के लिए ठोस फैसले करेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि हर आपदा के बाद देखा जाता है कि राहत के काम में सरकारें, संस्थाएँ, नागरिक, समाज सामने आता है। वैसा उत्तराखण्ड में भी हुआ। देश में कोई भी राजनैतिक दल ऐसा नहीं है प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई संगठित प्रयास करता हो। जो कुछ भी होता है नेताओं, कार्यकर्त्ताओं, विधायकों सांसदों द्वारा निजी स्तर पर किया जाता है।

जहाँ तक किसानों की आत्महत्या का प्रश्न है यह मुद्दा कभी भी राजनैतिक ऐजेंडा में नहीं आ पाया। यहां तक कि चुनाव के दौरान भी महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश या अन्य किसी भी प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा कभी भी मुख्य मुद्दा नहीं बना न तो संसद में आज तक किसानों की आत्महत्या रहित भारत का निर्माण करने का कोई संकल्प पारित नहीं किया। उस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाना तो दूर की बात है। चुनाव में ही सही किसानों की आत्महत्या मुक्त भारत बनाने का वायदा तक नहीं किया, नीतियाँ बनाना तो दूर की बात है। यह मान लिया गया कि किसान का आत्महत्या करना अपरिहार्य है।

विभाजन की साम्प्रदायिक हिंसा या देश में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए लागों के बारे में सरकार और पार्टियों का रुख कोई अलग नहीं रहा, संविधान में भले ही धर्म निरपेक्षता को मूल आधार एवं उद्देश्य घोषित कर दिया गया हो लेकिन देश भर में बार बार होने वाले साम्प्रदायिक दंगों के होने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मुद्दा भी संसद तथा

राजनैतिक मुद्दों के लिए सर्वोच्च न सही प्रथमिक वरीयता वाला मुद्दा भी नहीं बना जबकि यह मुद्दा राष्ट्रीय एकात्मिकता से जुडा मुद्दा है। देश के तमाम ऐसे स्थान हैं जो साम्प्रदायिक हिंसा के कागार पर बने रहते है।

हिन्दू मुस्लिम समुदाय के बीच हाल ही में मुजफर नगर में हुई हिंसा इसका एक उदाहरण है। सभी जानते और मानते हैं कि साम्प्रदायिक दंगे होते नहीं साजिश पूर्ण तरीके से कराए जाते हैं। जिसमें राजनीतिज्ञों की सक्रिय भूमिका रहती है। गत 68 वर्षों से हजारों दंगों में बडी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं लेकिन सरकार स्थायी हल निकालने में असफल रही है। यह भी कहा जा सकता है कि साम्प्रदायिक हिंसा एवं जातीय हिंसा रोकना किसी भी सरकार की प्रथमिकता नहीं रही है। जहां तक जन आन्दोलनों पर पुलिस गोली चालन से मारे गए 84 हजार लोगों का सवाल है आज तक भारत की संसद ने या किसी भी राज्य की विधान सभा ने पुलिस गोली चालन पर कानूनी प्रतिबद्धता को लेकर कोई बहस तक नहीं की, प्रस्ताव तो दूर की बात है।

उक्त सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि विधायिका अपना काम नहीं कर रही है। विधायिक के फैसलों को अमलीजामा पहनाने वाले नौकरशाही कार्यपालिका, मंत्रियों और नेताओ, पार्टी कार्यकर्त्ता की कठपुतलियाँ हैं।

अपनी सक्रियता से तमाम देश वासियों में उम्मीद पैदा करने वाली न्याय पालिका ने उक्त सभी मुद्दों में कोई सक्रिय भूमिका का निर्वाह नहीं किया है। जबकि विधायिका, कार्यपालिका तीनों को संविधान की परिधि में काम करते हुए संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों पर चलना चाहिए तथा जहाँ इसके विपरीत काम हो न्याय पालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन न्याय पालि. का ने भी उक्त मुद्दों को लेकर कोई ठोस निर्देश नहीं दिए है। सम्मान पूर्वक जीवन जीना तो दूर उक्त घटनाओं में जो मारे गए उनके जीने के संवैधानिक अधिकार को छीन लिया गया है।

स्पष्ट है कि वर्तमान व्यवस्था के किसी भी स्तंभ के लिए उक्त मुद्दे अहम नहीं हैं। इन मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श राजनैतिक एजेंडा में लाने के लिए नागरिकों को ठोस पहल करने की आवश्यकता है। केवल राजनैतिक दलों एवं सरकारों को गाली देने से काम चलने वाला नहीं है।

अनिवार्यतः पहले जागरूकता फैलाना इन मुद्दों के इर्द–गिर्द ताकतवर एवं अनुशासित संगठन बनाना पूर्व शर्त है।

देश के संविधान में भरोसा रखने वाले मानवता और राष्ट्रीय एकता अखण्डता में विश्वास रखने वाले नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वे उक्त मुद्दों को लेकर एक संकल्प पत्र तैयार करे जिसके अनुसार ऐसे ही उम्मीदवार को नागरिक समर्थन करें जो साम्प्रदायिक, जाती हिंसा मुक्त किसानों की आत्महत्या से मुक्त वैकल्पिक विकास के माडल में विश्वास रखने वाले हो। तथा राज्य द्वारा पुलिस गोली चालन के माध्यम से की जाने वाली हिंसा पर प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में होता था। देश के हर किसान परिवार के लिए न्यूनतम प्रतिमाह दस हजार रूपये की आय सुनिश्चित करने का हिमायती है।

अगले दो माह में छः राज्यों में चुनाव होंगे तथा अगले वर्ष में लोकसभा चुनाव होंगे यही सही मौका है जब गरम लोहे पर नागरिकों द्वारा चोट की जा सकती है। डा. सुनीलम, समाजवादी चिंतक मो. न. 9425109770

आखिर फांसी की सजा क्यों?

16 दिसम्बर, 2012 के सामूहिक बलात्कार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। खासकर मध्यमवर्गीय महिलायें, जो ऑफिस, स्कूलों और कॉलेजों में जाती हैं, काफी संख्या में सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वर्मा कमेटी को सुझाव देने में पक्ष–विपक्ष एकमत था कि बलात्कार की घटना में फांसी की सजा होनी चाहिए। यह मीडिया पर दिन–रात चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों के गुस्से पर सरकार ने लाठी के बल पर काबू किया। एक पुलिसकर्मी की मौत में झूठे बेगुनाह युवकों को फंसाया गया। लोगों के गुस्से को देखते हुए वर्मा कमिटी का गठन किया गया और वर्मा कमेटी ने बलात्कार कानून में काफी कुछ बदलाव किया और बलात्कार की परिभाषा को भी बदला। 10 सितम्बर, 2013 को जब इस केस का फैसला आना था, मीडिया में यह मुद्दा गर्म हो गया और मीडिया द्वारा लोगों का ओपीनियन (फैसला) दिखाया जाने लगा। मीडिया पार्क में, चौराहों पर, ऑफिस के बाहर जाकर लोगों की बाइट ले रही थी, जिसमें अधिकांश लोगों का मत था कि फांसी की सजा दी जानी चाहिये। कुछ का तो यह भी मानना था कि इन्हें बीच चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए जिससे कि लोगों में भय पैदा हो। पीड़ित परिवार के बार–बार बयान दिखाये जा रहे थे कि बलात्कारियों को फांसी की सजा हो ताकि उनको न्याय मिल पाये।

16 दिसम्बर के बाद जब लोग दिल्ली के इंडिया गेट और रायसिना हिल पर जमे हुए थे उसी 72 घंटे के दौरान देश में 150 बलात्कार की घटनाएं हुईं (दैनिक भास्कर, 25 दिसम्बर 2012)। इस घटना के बाद भी लगातार देश में बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं। दिल्ली में ही एक छोटी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। मुम्बई में एक फोटोग्राफर लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। ज्यादातर केसों में आरोपी 24 घंटे में पकड़ लिये गये और केस को सुलझा लिया गया। फिर भी उनको कई दिनों तक पुलिस रिमांड पर रखा गया। प्रभावशाली लोग, जो कि एक संगठित गिरोह की तरह काम करते हैं, जब किसी के साथ बलात्कार करते हैं तो उन पर केस दर्ज नहीं होता, और होता भी है तो उनको बचाव का पूरा समय दिया जाता है। आसाराम के केस में देखा जा सकता है कि एक नाबालिग लड़की से सोच–समझकर षड़यंत्रपूर्वक बलात्कार किया जाता है और केस दर्ज होने के बाद भी आसाराम को बचाव का पूरा समय दिया जाता है। पूछ–ताछ के लिये उनके दरवाजे पर पुलिस जाकर नोटिस देने के लिये घंटों इंतजार करती रहती है और आदरपूर्वक उनको नोटिस देकर आती है। विपक्ष की नेता, जो चिल्ला–चिल्ला कर बलात्कारियों की फांसी की मांग करती हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग आसाराम को निर्दोष बताने में लगे हुए थे। म.प्र. के एक बीजेपी नेता ने तो यहां तक मांग कर दी कि लड़की के घर वालों पर केस दर्ज होना चाहिए क्योंकि वे आसाराम बापू को झूठे फंसा रहे हैं। पुलिस आसाराम को पकड़ती है और एक दिन की पुलिस के रिमांड में ही पूछ–ताछ पूरी कर लेती है! जो मीडिया 16 दिसम्बर के सामूहिक बलात्कार के केस की अदालती कार्रवाई को

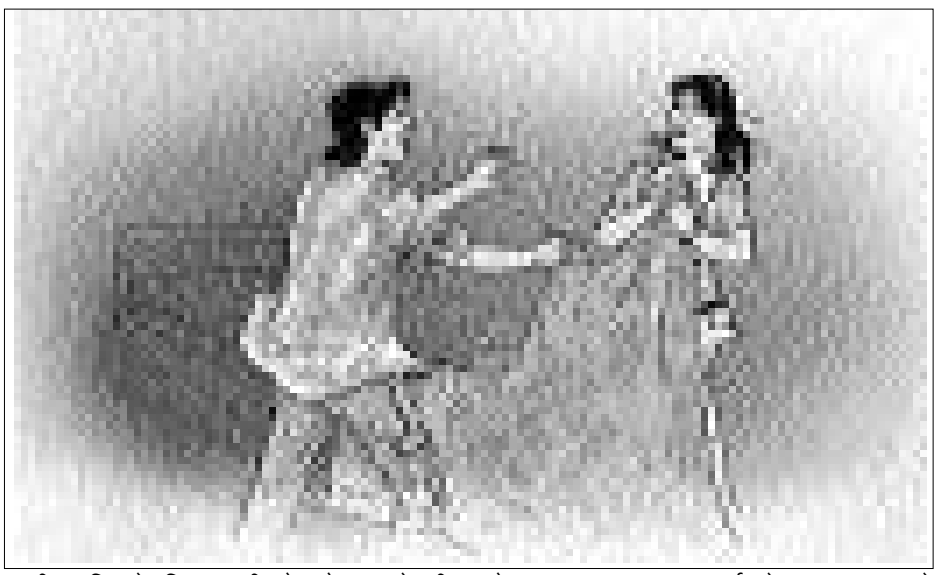

इतनी रूचि से दिखा रही है और पहले भी दिखा रही थी; उस मीडिया का (दो–तीन चैनल को छोड़कर) आसाराम केस में उतनी दिलचस्पी नहीं है। सामूहिक बलात्कार केस में फांसी की मांग करने वाली भीड़ में आसाराम के कई भक्त भी होंगे जो कि आसाराम को निर्दोष बता रहे थे। 10 दिसम्बर, 2013 को दोषियों (मुकेश (26), पवन (19), विनय (20) व अक्षय (28)) को फांसी की सजा देते हुए जज योगेश खन्ना ने कहा ''अदालत ऐसे अपराधों की तरफ आंख नहीं मूंद सकता। इस हमले ने समाज की अंतरात्मा की आवाज को स्तब्ध कर दिया था। ये मामला सचमुच अपवाद का है और इसमें मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए।'' क्या जज साहब की इन बातों से उन सभी महिलाओं को न्याय मिल जायेगा जो सामाजिक संरचना की भय से बालात्कार जैसी घटना को छुपाती हैं? क्या इस फांसी की सजा से जेल में बंद सोनी–सोरी को न्याय मिल गया, जिनके गुप्तांगों में पत्थर डालने वाले पुलिस अधिक. ारी अंकित गर्ग को सजा देने के बदले राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? मनोरमा और शोपिया के बलात्कारियों का क्या हुआ? गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि ''दामिनी और उसके परिवार को न्याय मिला है। न्यायदेवता ने एक नया उदाहरण रखा है कि इस तरह के अपराध करोगे तो इसके सिवा दूसरी सजा नहीं हो सकती है। मैं इसका स्वागत करता हूं।'' गृहमंत्री जी उन महिलाओं को कब न्याय मिलेगा जो कि राष्ट्रीयता व अपनी जीविका के संसाधनों, जल–जंगल–जमीन के लिए संघर्ष कर रही हैं और आपके 'बाहदूर सिपाही/अधिकारी' उनके साथ बालात्कार करते आ रहे हैं? आपके ही पार्टी के राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन पर सूर्यनेल्ली नामक लड़की ने जो आरोप लगाये थे क्या उस लड़की को न्याय मिल गया? प्रियदर्शनी मट्टू, रूचिका गिरहोत्रा जैसे कांड का क्या हुआ? जनदबाव के कारण अगर कोई बड़ा बलात्कारी पकड़ा भी जाये तो आप ऐसे बलात्कारियों को तो जेल में अतिथि बनाकर रखते हैं, जैसा कि अभी–अभी आसाराम को घर का बना हुआ दलिया खिलाया। इससे आसाराम का मनोबल इतना बढ़ गया कि वे जेल में महिला वैद्य से इलाज कराने की मांग करने लगे।

दिल्ली सामूहिक बलात्कार के दोषियों को 9 माह में फांसी की सजा सुना दी गई क्योंकि इन दोषियों में कोई भी अरबपति, राजनेता, नौकरशाह या शासक वर्ग से ताल्लुक रखने वाले नहीं थे। ये सभी समाज के उस निचले पायदान से थे जिसको हम चलती–फिरती भाषा में 'नाली के कीड़े' की संज्ञा देते हैं। इन दोषियों को सजा देकर भारत का शासक वर्ग यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत में न्याय जिन्दा है। वह लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि गृहमंत्री का बयान है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ए.पी. सिंह ने इस फैसले को पक्षपातपूर्ण निर्णय बताया है और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा है कि ''अगर फांसी देने से बलात्कार रूक जाएगा तो हम इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। गृह मंत्री ने इस मामले में दखल दिया है। अगर इस फैसले के बाद दो महीने के अंदर कोई बलात्कार या हत्या नहीं होती है तो हम अभियुक्त के लिए ऊपरी अदालत में नही जांएगे।''

बलात्कार सामंती युग की बर्बरता है। किसी से बदला लेना हो, किसी को नीचा दिखाना हो तो उसके घर की महिलाओं के साथ बलात्कार करो। सामंती युग की इस बर्बरता को पूंजीवादी उपभोक्तावादी संस्कृति और बढ़ावा देती है। गुजरात के दंगों में विशेष समुदाय के महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनके पेट को चीर कर भ्रूण को काट दिया गया– यह किस सभ्य समाज की निशानी है? हमें शासक वर्ग को सरलीकरण का रास्ता दिखाते हुए उसे और दमनकारी बनाने की मांग नहीं करनी चाहिए। बलात्कार पुरुषवादी मानसिकता में है जो इस समाज के जड़ में निहित है। सत्ता के शीर्ष पर हों या कानून के रखवाले हों, उनकी सोच में यह रची–बसी है कि महिला उपभोग की वस्तु है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक के.पी.एस. गिल द्वारा भारतीय महिला प्रशासनिक अधिकारी को एक पार्टी में छेड़ना हो या राजस्थान में महिला पुलिस का उसके सहकर्मियों द्वारा थाने में बलात्कार किया जाना बाप द्वारा अपनी बेटी का बलात्कार या भाई द्वारा बहन का बलात्कार। सभी इस पुरुषवादी मानसिकता को दर्शाते हैं। भाजपा शासित गुजरात हो या सपा–बसपा शासित उत्तर प्रदेश या कांग्रेस शासित प्रदेश हो, हर राज्य में बलात्कार जैसा संगठित अपराध नौकरशाहों, सत्ताधीशों या उनके संरक्षण में पलने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। अपने को सर्वहारा का हितैषी बताने वाली सीपीएम के राज्य बंगाल के सिंगूर में सीपीएम के कार्यकर्ताओं द्वारा सिंगूर आन्दोलन की नेत्री तापसी मलिक का बलात्कार, फिर उसकी हत्या हो या नन्दीग्राम में सीपीएम नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं के बलात्कार, सभी इसी श्रेणी में आते हैं।

बहुसंख्यक महिलाओं की मानसिकता भी पुरुषवादी सोच से कोई अलग नहीं है जैसा कि म.प्र. के सेमिनार में एक महिला वैज्ञानिक डॉ. अनिता शुक्ला द्वारा ये कहा जाना कि ''लड़की आधी रात में ब्वाय फ्रेंड के साथ क्या कर रही थी, क्यों घूम रही थी।'' यहां तक कि उन्होंने लड़की को आत्मसमर्पण कर देने की बात भी कह डाली। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा महिलाओं को अकेले न निकलने और कपड़े ठीक से पहनने की नसीहत दी जाती है। यहां तक की सीपीएम के पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात द्वारा नन्दीग्राम बलात्कार में पीड़िता की मद्द करने के बजाय अपने पार्टी को बचाने वाला बयान दिया गया कि दस के साथ नहीं चार औरतों के साथ बलात्कार हुआ है।

बलात्कार के कारण के रूप में लड़कियों के भड़काऊ कपड़े पहनना, ब्वाय फ्रेंड या दोस्तों के साथ घूमना, लड़कों से हंस–हंस कर बात करना (जैसा कि हंसने पर केवल पुरुष का ही एकक्षत्र राज्य हो) इत्यादि माना जाता है। ऐसे में यह कैसे माना जा सकता है कि फांसी देने से बलात्कार कम होगा। 132 देशों में फांसी की सजा नहीं है। क्या वहां पर ज्यादा अपराध होते हैं? आंकड़े तो यह बताते हैं कि जिस देश में फांसी की सजा नहीं है वहां पर बलात्कार और अपराध के मामले मृत्यु की सजा देने वाले देशों से कम होते हैं।

हमारे देश में अलग–अलग वर्ग हैं। एक ही तरह के अपराध के लिए यहां सजा भी अलग–अलग होती है। 16 दिसम्बर की बलात्कार की घटना में फांसी की सजा प्राप्त विनय के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बीबीसी संवादाता से कहा ''सजा तो जितने भी बलात्कारी हैं, सबको मिलनी चाहिए। जो भी सजा इन गरीब बच्चों को अदालत देगी वो सभी को मिलनी चाहिए। चाहे वे कोई बाबा हो या फिर नेता या अमीरों के बच्चें हों।'' क्या यह वर्गीय समाज में मुमकिन है?

जब किसी अरबपति–खरबपति, माफिया सरगना, अफसरशाह, नेता या उसके परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य द्वारा ऐसी काली करतूत की जाती है तो पीड़िता के ही चरित्र पर सवाल उठाये जाते हैं। प्रताड़ित लड़की या महिला का चरित्र ही गलत है, वह पैसा चाहती है, सुर्खियां बटोरने के लिए यह सब कर रही है, डॉक्टरी रिपोर्ट का इंतजार करो, मीडिया पर ध्यान मत दो, बेचारे को झूठा फंसा रही है, आदि, आदि कह कर लोगों को दिगभ्रमित किया जाता है ताकि आम जनता पीड़िता को ही दोषी मानने लगे। जिस देश में लोगों के अपने मौलिक–कानूनी अधिकारों को पाने के लिये संघर्ष करना पड़ता है; शासक वर्ग जेलों–लाठियों–गोलियों के बल पर इन संघर्षों को क्रूर तरीके से दमन करता है क्या किसी की जान लेने का वैधानिक अधिकार देना शासक वर्ग को और क्रूर नहीं बनाता है? क्या किसी भी सभ्य–जनवादी–लो. कतांत्रिक समाज में फांसी की सजा होनी चाहिए?

– सुनील कुमार, चिंतक

कोई नहीं आपदा प्रभावितों का सुधलेवा

बेघर, बेसहारा परिजनों को मदद की दरकार, पर नहीं बढ़ रहे हाथ

जनता रैबार प्रतिनिधि

मसूरी। प्राकृतिक आपदा आकर चली गई। सरकार ने बादल फटने से ध्वस्त हुए भवनों का मुआवजा दो-दो लाख रूपये थमाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, जबकि स्वयं सेवी संगठन और कुछेक राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता राशन आदि राहत सामग्री बांटकर चले गए। लेकिन, मुट्ठी भर आटा-चावल और सरकार के चंद पैसों से लोगों की जिंदगी कैसे पटरी पर लौटेगी, इसकी चिंता किसी को नहीं है। कम से कम निकटवर्ती थत्युड़ ब्लॉक से सटे आपदा प्रभावित गांव परोड़ी, छनाणगांव, सिर्वा आदि के हालात तो यहीं बयां कर रहे हैं।

इन गांवों में बादल फटने से खूब तबाही मची है। परोड़ी में करीब १९ और छनाणगांव में २५ से ज्यादा घर दो हैं। सिर्वा गांव भी पूरी तरह मलबे में दबा है। कई घर तो ध्वस्त हो गए, तो कुछ मलबे के नीचे दबे हैं, मगर आज तक यह मलबा हटाया नहीं जा सका। गांव खंडहरों में तब्दील हैं और परिजन इनको दिनरात आंखे फाड़-फाड़कर

देखने को मजबूर। उनका विस्थापन होगा या नहीं, इसका किसी को पता नहीं। लोग अपने टूटे आशियाने दोबारा खड़े करते हैं, तो दोबारा बादल फटने का भय है। फिर सरकार से मिली मात्र दो लाख की मदद से तो क्षतिग्रस्त घरों का मलबा उठाना भी संभव नहीं है। आपदा प्रभावित परोड़ी गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक नागेंद्र दत्त, सेवानिवृत्त सैनिक जगदीष प्रसाद, प्रमिता देवी, सविता देवी, उपेंद्र लेखवार आदि कहते हैं, घर की बुनियाद खोदने में ही सरकार से मिली मदद से दोगुना खर्च आ जाएगा, तो फिर सिर छुपाने को छात कैसे बनाएंगे। सरिया, सिमेंट, ईंट से लेकर घर बानाने में लगने वाली एक-एक चीज १०० किमी दूर देहरादून या विकासनगर से गाड़ियों में रखकर लानी पड़ती है। फिर इस सामान को सड़क से गांव पहुंचने तक में घोड़ा-खच्चर और लेबर का खर्च अलग है। खेत-खलियान और इनमें लहलहाती खड़ी फसल भी बचती तो भी पेट की चिंता छोड़कर मेहनत-मजदूरी करके किसी तरह रहने लायक घर तो खड़ा कर ही लेते, लेकिन हमारा तो घर में रखा अनाज बचा, न खेत में बोई फसल। क्योंकि, सारे खेत चले गए हैं, इसलिए आने वाले समय में अच्छी-बुरी फसले आने का भी प्रश्न ही नहीं है। ऐसे में, मेहनत-मजदूरी से जो कुछ आएगा, उससे किसी तरह परिजनों की भूख ही मिट सकती है। संशय के ये बादल प्रभावितों के मन-मस्तिक को बेचैन किए हुए है।

राष्ट्र सेवा दल की ओर से गढ़खेत और कैंपटी में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में आयोजित षिविर में प्रशिक्षण लेते युवा-युवतियां।

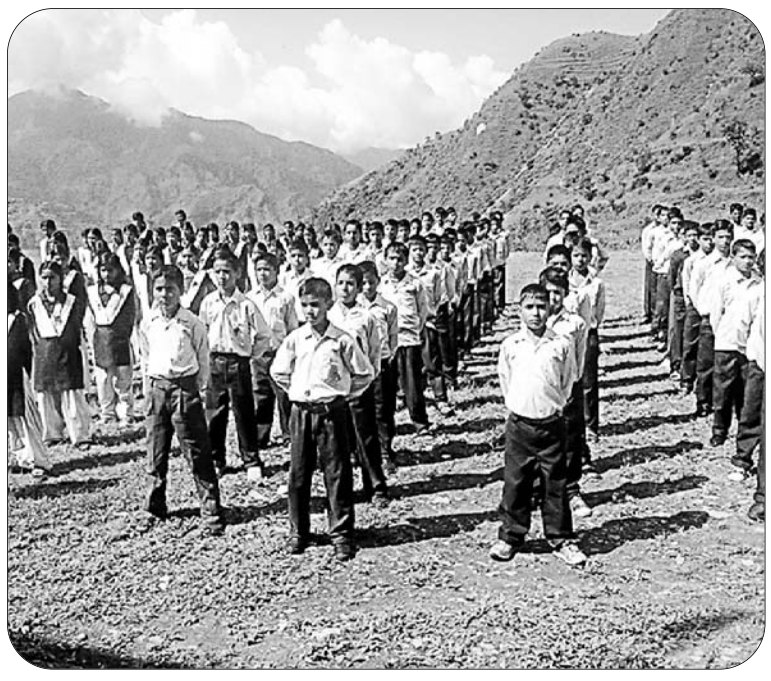

सेवादल का प्रशिक्षण शिविर गढ़खेत में संपन्न, कैंपटी में शुरू

राष्ट्र और समाता गीतों के अलावा अरोबिक्स, डांडिया, लेझिम, योगा का दिया प्रशिक्षण

बिहार, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के प्रशिक्षकों ने पांच-पांच दिन दिया प्रशिक्षण

मसूरी। अखिल भारतीय राष्ट्र सेवा दल की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी और राजकीय इंटर कॉलेज गढ़खेत में पांच-पांच दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कैंपटी में 520 और गढ़खेत में 150 युवा-युवतियों ने सेवा दल का प्रशिक्षण लिया।

प्रशिक्षण के दौरान युवा-युवतियों को बौधिक, शारीरिक और सांस्कृतिक प्रशिक्षण दिया गया। देषभक्ति गीत, सही उच्चारण के साथ राष्ट्रगान गाने के अलावा अरोबिक्स, डांडिया, लेझिम, योगा आदि का भी प्रशिक्षण दिया गया। बिहार से आए प्रषिक्षक नंदलाल मंडल, दिव्यता, महाराष्ट्र के प्रशिक्षक --के अलावा उत्तराखंड के प्रशिक्षक राजेष, दरानू आदि ने प्रशिक्षण दिया। शिविर की समाप्ति पर युवा-युवतियों ने डेमो दिया। गढ़खेत राजकीय इंटर कॉलेज में आरएसडी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री जबर सिंह वर्मा, पुना की सामा. जिक कार्यकर्ता अमिता देशपांडे, फ्रांस के सामाजिक कार्यकर्ता सिमोन, कॉलेज के प्रधानाचार्य नेगी ने समापन कार्यक्रम में शिरकत की। अमिता देशपांडे ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का समापन किया। जबर सिंह वर्मा ने सेवादल की गतिविधियों के बारे में अवगत कराते हुए संगठन का इतिहास और सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि सेवादल समता-बंधुता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्किोण, संविधान को मानने वाला समा. जवादी संगठन है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबंधित है।

कैंपटी इंटर कॉलेज में समाजवादी अध्यापक सभा के उत्तराखंड अध्यक्ष और शिक्षक रूपचंद गुरूजी ने 16 सितंबर 2013 को राष्ट्र सेवा दल का झंडा फहराकर 520 युवा-युवतियों के पांच दिवसीय शिविर का उद्घाटन किया। नंदलाल, दिव्यता, राजेश आदि प्रशिक्षकों ने सेवादल के झंडे के बारे में बताते हुए योगासन और सेवा दल गीतों से षिविर की शुरूआत की। जबर सिंह वर्मा ने सेवादल संगठन की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान शिविर में इंटर कॉलेज के शिक्षक, अभिभावक मौजूद रहे।

घंडियाला में दो मंजिला भवन जमींदोज, परिवार बेघर

मसूरी। शहर से लगे धनोल्टी तहसील के घंडियाला गांव में चार कमरों का एक दो मंजिला मकान भूस्खलन की चपेट में आने से जमींदोज हो गया है। घटना रात करीब १२ जे घटी। उस मसय घर पर पूरा परिवार सोया हुआ था, हालांकि घर की दीवारें ढहने की आवाज सुनते ही परिजन किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल गए। घर का सारा सामान दा गया है। घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। घंडियाला गांव निवासी भट्ट सिंह के मकान के आगे का हिस्सा पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण धंस गया था। इससे घर में हल्की दरारें आ गई थीं। परिजनों ने इसकी लिखित सूचना स्थानीय प्रशासन को देकर अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग की थी, मगर किसी ने नहीं सूनी। दूसरी जगह कोई व्यवस्था नहीं होने से परिवार इसी भवन में रहने को मजबूर था। बीती रात पुरा भवन अचानक ध्वस्त हो गया। इससे परिजनों की जान मुश्किल से बची। जबकि पूरा सामान नष्ट हो गया। भट्ट सिंह ने ताया कि वह मजदूरी करते हैं, बारसात का मौसम है और दूसरी जगह परिवार को रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए दरार पड़ी होने के बावजूद उसी घर में रहना मजबूरी थी। आब घर गिरने के कारण परिवार दूसरों की गौशाला में रह रहा है। ग्राम प्रधान सरिता देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य कल्पना रावत, जिला पंचायत सदस्य रेखा डंगवाल आदि ने क्षतिगस्त भवन का मुआयना किया। उन्होंने परिजनों को शिफ्ट करने की मांग पर ध्यान नहीं देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए शासन-प्रशासन से जल्द ही पीड़ित परिवार को राहत पहंचाने की मांग की है। उधर, क्षेत्रीय पटवारी आरके नौटियाल का कहना है भवन गिरने की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है और जल्द ही मदद पीड़ितों को पहुंचाई जाएगी।

संपादकीय

हिल क्वीन पर कोई तो तरस खाओ साहब

मसूरी। शहर की लाईब्रेरी–कंपनीबाग रोड़ खस्ताहाल है। पूरी सड़क गहरे गड्ढों से पटी पड़ी है। हालत यह है कि सड़क पर गड्ढें हैं या गड्ढों पर सड़क इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस मार्ग पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मौजूद है। जबकि, कैंपटीफॉल और कंपनीबाग की तरफ हजारों सैलानी वाहन, रिक्शों के साथ ही पैदल भ्ज्ञी पहुंचते हैं। लेकिन, सड़क गड्ढों में तदील होने से हर कोई परेशान रहता है।

पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश और सीवर लाइन खुदने के कारण वैसे तो शहर की तकरीबन सभी सड़कें जर्जर हैं, लेकिन हर समय वीवीआईपी और सैलानियों के आवागमन को उपयोग होने वाली लाईब्रेरी–कंपनीबाग मार्ग का लंबे समय से बेहद दयनीय स्थिति में होना लोक निर्माण विभाग की लापरवाही की पोल खोल रहा है। इस मार्ग पर अकादमी की तरफ रोज दर्जनों वीवीआईपी वाहन गुजरते हैं। जाकि, कंपनीबाग, कैंपटीफॉल, यमुनोत्री, विकासनगर की तरफ जाने वाले हजारों वाहन रोज गुजरते हैं। लेकिन लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन को इसकी सुध नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मार्ग का डामरीकरण नहीं होता, मगर इनने के साथ ही उधड़ जाता है। लाईब्रेरी–वेवरली, किंग्रेग मार्ग का भी यही हाल है। घंटाघर से सिविल अस्पताल की तरफ जाने वाला मार्ग भी जर्जर हालत में है। मार्ग पर मरीज को वाहन में ले जाना मतलब उसकी मौत को दावत देने जैसा है।

दर–दर की ठोकरें खाने को मजबूर टिहरी बांध विस्थापित

जबर सिंह वर्मा

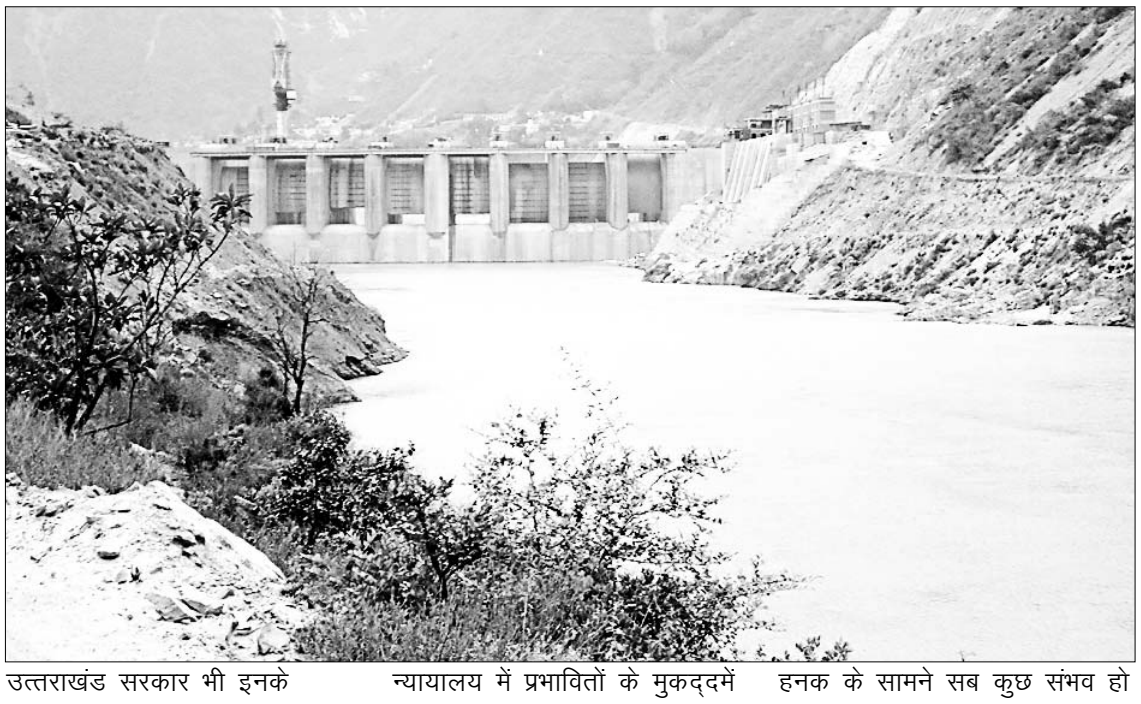

40 साल पहले तमाम विरोधों को दरकिनार कर एषिया के सबसे बड़े टिहरी बांध की आधारशिला रखने के बाद अब सदियों पुराने टिहरी शहर समेत आसपास के दर्जनों गांव बांध की झील में समां चुके है. तमाम विरोध, संघर्षों बावजूद हजारों ग्रामीणों को उनके पूर्वजों की देखी–परखी माटी से दूर कर दिया गया. समूचे देश की विद्युत जरूरतों को पूरा करने के नाम पर लाखों लोंगो के गांव–खेत–खलियान छीने गए. टिहरी बांध को बने अब एक दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन राष्ट्र की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले हजारों विस्थापित परिवार आज भी दर–दर की ठोकरें खाते भटक रहे हैं. विस्थापन का दंश झेल रहे परिवार हों या झील के आसपास बसे प्रभावित ग्रामीण. आज किसी की समस्या सुनने को कोई भी तैयार नहीं है.

बांध विस्थापितों को ऋशिकेश, बंजारावाला, पशुलोक, भानियावाला, डाईवाला, पथरी समेत दून और हरिद्वार से लगे कई दुर्गम और बेहड़ क्षेत्रों में बसाया गया था. लेकिन, वहां भी नैसर्गिक अधिकार छोड़कर आए इन विस्तापितों को भूमि के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा हैं. टिहरी में परंपरागत ढंग से पीढ़ी–दर–पीढ़ी बतौर राजस्व ग्राम के निवासी होने के जो अधिकार उन्हें मिल रहे थे, वह भी छूट गए. विस्थापित जगहों पर उन्हें दी गई जमीन का मालिकाना हक अब तक नहीं मिल पाया है. जो भूमि मिली, उसे भी दलालों, भूमाफियाओं, नेताओं–अफसरों ने खुर्द–बुर्द करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. विस्थापन के समय गरीबों, दलितों की तो सुनी ही नहीं गई. जहां मर्जी आई, वहां उन्हें अनुपयोगी भूमि देकर पटक दिया गया. अब उत्तराखंड सरकार भी इनके हक–हकूक दिलाने में रूचि नहीं दिखा रही. न ही कोई आवाज बांध प्रशासन के समक्ष उठाई जा रही है.

बांध निर्माण के बाद विस्थापितों और प्रभावितों को रोजगार सृजन के लिए झील क्षेत्र में नौकायन, पर्यटन, मत्स्य पालन समेत आजी. विका जुटाने के कई प्रावधान रखने के सब्जबाग दिखाए थे. लेकिन, झील बनने के 10 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ. उल्टा, आसपास के क्षेत्र की दुश्वारियां और बढ़ गई हैं. विस्थापित पराश्रित बनकर रह गए हैं. पुरानी टिहरी को उजाड़कर बेढंगी और अक्सर सूनसान रहने वाली नई टिहरी मिली. हां, बांध निर्माण के चलते उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बांध प्रशासन के लिए जरूर आलीशान कालोनियां बन गई हैं. टिहरी बांध विस्थावितों के लिए लगातार कार्यरत माटू जनसंगठन के समंवयक विमलभाई का कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे एनडी जयाल और शेखर सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य मुकद्दमें में बांध प्रभावितों के विषय लगातार उठाए गए हैं. आज जब कांग्रेस की सरकार राज्य और केन्द्र दोनों जगह है, तो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यह कार्य क्यों नही करवा पा रहे है? जबकि वे सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावितों के मुकद्दमें के हर फैसले का श्रेय लेते रहे हैं. उन्होंने चुनावों से पहले हर बार विस्थापितों की समस्याओं पर सुप्रीर्मकोर्ट जाने की घोषणा की. यह बात अलग है कि चल रहे मुकदमों में उन्होंने कभी मदद नहीं की.

विस्तापितों को भूमि आवंटन में "खेल" शुरू से लेकर अब तक लगातार चल रहा है. गत महीनों में ही टिहरी बांध के 33 विस्थापित परिवारों को पुनर्वास के नाम पर सभी मानक ताक पर रखकर ऋशिकेश, अजबपुर और देहराखास स्थित पॉश इलाकों में सेटिंग–गेटिंग के तहत आधा–आधा एकड़ भूखंड आनन–फानन में आवंटित करवा दिए गए. यह आवंटित भूमि टीएचडीसी के अधीन थी और हरित पट्टी घोषित है. बावजूद इसके, नियमो के विपरीत पुनर्वास विभाग ने इसे विस्थापितों को आवंटित करवा दिया. बात यहीं नहीं रूकी. 40 से 45 हजार रूपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत वाली इस जमीन की रजिस्ट्री जिस दिन टिहरी विस्तापितों के नाम हुई, उसी दिन भूमाफियाओं के नाम भी ट्रांसफर्र हो गई. इनमें कई विस्तापित अनुसूचित जाति के भी थे, जिनकी जमीन बिना पंचायत, डीएम की अनुमति के खरीदी–बेची नहीं जा सकती. मगर सत्ता की हनक के सामने सब कुछ संभव हो गया.

बानगी के तौर पर ऋशिकेश के तल्ला उप्पु के सबल सिंह पुत्र भावों सिंह, अब्बल सिंह पुत्र भावों सिंह को 11 फरवरी 2013 को आधा–आधा एकड़ भूखंड आवंटित हुआ. दिलचस्प यह है कि सबल सिंह को आवंटित यह भूखंड उसी दिन जितेंद्र सिंह पुत्र शूरवीर सिंह और केवल कृष्ण पुत्र एचआर लांबा निवासी ऋशिकेश को 35 लाख 64 हजार और अबल सिंह का भूखंड राकेष सिंह पुत्र धर्मसिंह निवासी ऋशिकेश और हिमांशु निवासी टिहरी को बेच दिया गया. इन विस्तापितों को सोची समझी रणनीति के तहत पॉश इलाके में भूमि आवंटित कराई गई. इस पूरे खेल में टिहरी से सांसद का चुनाव लड़ चुके मुख्यमंत्री पुत्र साकेत बहुगुणा समेत कुछ कांग्रेस विधायकों और नेताओं के नाम भी खासे चर्चा में रहे. हालांकि, तमाम हंगामे के बावजूद जमीन माफिया निगल गए और विस्थापित हाथ मलते रह गए. पूरे प्रकरण में सिस्टम आज भी मजाक बनकर रह गया है. बहुगुणा राज में बेशकीमती जमीनें खुर्द–बुर्द कर करोड़ों के वारे–न्यारे करने का यह खेल लंबे समय से बेरोकटोक चला आ रहा है।

जून की बाारिश का दंश आज तक झेल रही मसूरी

मसूरी। पर्वतों की रानी मसूरी और आसपास सटे ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों ग्रामीण १५ से १७ जून तक हुई मूसलाधार बाारिश का दंश अभी तक झेल रहे हैं। तीन दिन लगातार हुई बारिश की वजह से कई पहाड़ दरक गए, तो कइयों में गहरी दरारें आ गई थीं। लोक निर्माण विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद बंद पड़ी जो सड़कें खुलवाई थीं, ये कच्चे हो चुके पहाड़ आ उन्हें भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहाड़ियां दरकने से जिन जगहों पर पहाड़ों से मलबा आया था, वहां हल्की बारिश होते ही दोबारा सड़कें बंद हो जा रही हैं। इससे आवाजाही बार–बार बाधित हो जाती है। खासकर, विकासनगर, थत्युड़, अठ्ज्यूला, सिलवाड़, पालीगाड़, नैनबाग क्षेत्र को जोड़ने वाली संपर्क मार्ग आए दिन बाधित हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग बार बार इन सड़कों को खुलवाने का प्रयास कर रहा है। जेसीबी लगाकर करोड़ों रूपये खर्च किए जा रहे हैं, मगर परिणाम वही ढाक के तीन पात है। मार्ग ह"की बारिश होते ही मार्ग दोबारा बंद हो जाते हैं। गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों और पैदल रास्तों का भी यह हाल है। जो मार्ग खुले भी हैं, उन पर चलना मौत को दावत देने जैसा है। इन क्षेत्रों से मसूरी के लिए दुग्ध, सब्जी समेत जरूरी चीजों की आपूर्ति होती है। इन दिनों गांवों से आने वाली सब्जियों का लोग सालभर इंतजार करते हैं।

लेकिन, मार्ग बंद रहने से किसानों की नगदी फसलें खेतों में ही सड़ रही है, तो मसूरी के लोग उनकी राह ताक रहे हैं। थत्युड़ से देवलसारी के क्षेत्र के करीब एक दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़कें जून की बारिश में तबाह हुई थीं, जो अभी तक नहीं बन सकी हैं। लोग १५ से २० किमी की पैदल दूरी तय करके गांव पहुंच रहे हैं। ग्रामीण दैनिक जरूरत की छोटी–मोटी चीजों के लिए मसूरी पर निर्भर है। पर, आवाजाही बार बार ठप होने से हर कोई परेशान है।

स्वामी मुद्रक और प्रकाशक कलावती द्वारा शैलवाणी प्रिंटर्स, 1/12 न्यू चुक्खूवाला, देहरादून से मुद्रित तथा लेन एडन आउट हाउस, डिक रोड, कंपनीबाग, मसूरी, जिला देहरादून, उत्तराखंड से प्रकाशित।

संपादक

जबर सिंह वर्मा

फोन. 9927145123

9411513894

Email-

jantaraibar@gmail.com

jabars9@gmail.com

(समाचार संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र मसूरी (देहरादून) ही मान्य होगा)